नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२९-१०-२५	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 44/2024

दायरा दिनांक 05.07.2024

पीठासीन अधिकारी

श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1. महावीर पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. कुन्जबिहारी पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. धनराज पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नन्दा जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद खातेदारी घोषणा

अन्तर्गत धारा 88,89 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ता:– 1. श्री महेन्द्र रेबारी (अधिवक्ता वादीगण)

2. श्री घनश्याम सैनी(अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1)

दिनांक:–29.10.2024

निर्णय

वादीगण अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषिभूमि खसरा संख्या 1509/896 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 656 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 658 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 764 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 890 रकबा 4.66है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.53है0 वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 एवं काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है लेकिन उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक एवं अधिकार है इसलिए प्रत्येक वादी का 1/4,1/4,1/4 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादी संख्यां 1 का भी 1/4 हिस्सा है इसलिए वादीगण को उक्त कृषि भूमि का सहखातेदार व बंटवारा प्राप्त करने का अधिकार है। वादीगणों को अपना खर्चा व पढ़ाई में रूपयों की आवश्यकता पड़ती है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकें इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कहा कि उक्त कृषि भूमि का बंटवारा करवालें और हमारा नाम दर्ज करवालें लेकिन प्रतिवादी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए वादीगण को अपने हिस्से के अनुसार माननीय न्यायालय में विधिवत रूप से घोषणा व बंटवारा करवाने का अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 26.06.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि हमारे खाते में दर्ज करवाये लेकिन प्रतिवादी द्वारा मना कर दिया, यही वाद कारण है। वादीगण द्वारा अन्त में निवेदन किया कि उक्त वाद विषयक आराजी में वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को भी 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं 1 द्वारा इकबालिया जावाब पेश किया। वादीगण सं 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी 1 ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.08.2024 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया पक्षकार आपस में पिता और पुत्रगण है तथा उक्त कृषिभूमियां पुश्तैनी है वाद विषयक आराजी में वादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी सं 1 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे। वादीगण की शिनाख्त वादीगण अधिवक्ता तथा प्रतिवादी सं. 1 की शिनाख्त प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई उभयपक्षों की सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गए। उभयपक्षों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किए जाने से पत्रावली बहस में नियत की गयी। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमारे द्वारा उपभपक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं वादीगण व प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता कि वादीगण 1 लगायत 3 प्रतिवादी सं 1 मांगीलाल के पुत्र है तथा वाद विषयक आराजी पुश्तैनी कृषि भूमि है। वाद वर्णित आराजी पैतृक सम्पति के कारण पुत्रों को अपने हिस्से अनुसार पैतृक सम्पति लेने का कानूनन अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। प्रतिवादी सं 1 मांगीलाल द्वारा भी प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का कृषक खातेदार घोषित किये जाने में सहमति दी गई। अतः वादी का वादपत्र कानूनन एवं सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1509/896 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 656 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 658 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 764 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 890 रकबा 4.66है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.53है0 वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4हिस्से का एवं शेष 1/4 भाग पर प्रतिवादी सं 1 को सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन संबंधी इन्द्राज बदस्तूर जमाबंदी रहेगा। तदानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..मुकाम.............लाखेरी...........................व
इजलास.........श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस)..

1. महावीर पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. कुन्ज बिहारी पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।
3. धनराज पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

—वादीया

बनाम

1. मांगीलाल तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत 88,89 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 44/दावा/2024 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....हमारे...........व हाजिरी वादीगण अधिवक्ता श्री महेन्द्र रेबारी ......मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि — वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1509/896 रकबा 0.24है0, खसरा संख्या 656 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 658 रकबा 0.18है0, खसरा संख्या 764 रकबा 1.13है0, खसरा संख्या 890 रकबा 4.66है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.53है0 वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वादीगण 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4—1/4हिस्से का एवं शेष 1/4 भाग पर प्रतिवादी सं 1 को सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन संबंधी इन्द्राज बदस्तूर जमाबंदी रहेगा।
निज...मुबलिग...बाबत..
................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29 माह 10 सन् 2024** को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।